आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 193/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

गृहम हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (पूर्व में मेग्मा एवं पूनावाला हाऊसिंग फाईनेन्स लि.), शाखा कार्यालयः– आठवां तल, आईबीसी टॉवर, मालवीया मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. स्व. श्री भंवर सिंह नाथावत जरिये विधिक वारिसान,
2. श्रीमती ज्योति राठौड़ पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह नाथावत पुत्री श्री रघुपाल सिंह राठौड़,
3. सुश्री माहिका नाथावत पुत्री स्व. श्री भंवर सिंह नाथावत,
4. सुश्री हंसिका नाथावत पुत्री स्व. श्री भंवर सिंह नाथावत,

पताः– प्लॉट नं. 63, गोविन्द नगर विस्तार, कालवाड रोड़ विस्तार, गोकुलपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर एवं फ्लेट नं. 707, वैशाली उत्सव, वैशाली एस्टेट, गांधी पथ पश्चिम, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 20.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2023 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री भंवर सिंह नाथावत जरिये विधिक वारिसान एवं श्रीमती ज्योति राठौड़ के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. ए–707, 7जी फ्लोर, खसरा संख्या 2047, ग्राम सिरसी, वैशाली उत्सव, वैशाली एस्टेट, गांधीपथ पश्चिम, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 819.47 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 28,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.02.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीमाति अवलोकन किया गया।

प्रका

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 28,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 30,62,443/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.02.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री भंवर सिंह नाथावत जरिये विधिक वारिसान एवं श्रीमती ज्योति राठौड़ के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति फ्लेट नं. ए-707, 7वीं फ्लोर, खसरा संख्या 2047, ग्राम सिरसी, वैशाली उत्सव, वैशाली एस्टेट, गांधीपथ पश्चिम, वैशाली नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 819.47 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)